श्री अभय कुमार सिंह, भा०प्र०से०, जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण द्वारा दिनांक 10.09.2013 को प्रखण्ड कार्यालय, योगापट्टी का किए गए औचक निरीक्षण की टिप्पणी :–

दिनांक 10.09.2013 को 04.00 बजे अप0 प्रखण्ड कार्यालय, योगापट्टी का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में निम्नांकित तथ्य सामने आया :–

1. **उपस्थिति :–**

निरीक्षण के क्रम में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, योगापट्टी अवकाश पर रहने के कारण मुख्यालय से बाहर पाये गये। श्री शोभाकान्त ठाकुर, लिपिक अनुपस्थित पाये गये। पृच्छा किये जाने पर बताया गया कि वे उपार्जित अवकाश पर हैं, परन्तु उनके द्वारा दिये गये आवेदन पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गयी है। श्री परमेश्वर कुमार यादव, टंकक एवं अमरेन्द्र कुमार शुक्ल, कार्यालय परिचारी उपस्थिति अंकित कर अनुपस्थित पाये गये, जो कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही को परिलक्षित करता है। इन दोनों से अनुपस्थिति के संबंध में कारण सहित स्पष्टीकरण की मांग की जाती है।

अनुपालन :– प्रभारी पदाधिकारी, जिला गोपनीय/स्थापना लिपिक

2 **नोट बुक :–**

प्रखण्ड कार्यालय के प्रधान सहायक के नोट बुक का अवलोकन किया। सही तरीके से विहित प्रपत्र में संधारित नहीं पाया गया तथा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित भी नहीं पाया गया। 20.09.2013 तक विहित प्रपत्र में संधारित कर अनुपालन प्रतिवेदन प्रेषित करें।

(अनुपालन :–प्रधान सहायक)

3 **सी.डब्लू. जे.सी./एम.जे.सी. :–**

निरीक्षण के क्रम में मात्र एक सी.डब्लू.जे.सी. (मो. नसीहा बनाम सरकार) लंबित पाया गया। उक्त वाद को एक सप्ताह के अन्दर निष्पादित करने का निदेश दिया गया।

4 **कन्या विवाह योजना :–**

श्री कृष्ण कुमार मिश्र, लिपिक द्वारा इंदिरा आवास योजना एवं मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना संबंधी संचिका सम्पादित किया जाता है। दिनांक 07.08.2013 को मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना संबंधी प्राप्त आवेदन पत्रों का अवलोकन किया। श्रीमती सुगान्ती देवी, [illegible] देवी, उमरावती देवी, अनु कुमारी, माला मुखिया एवं श्रीमती सुशीला देवी के आवेदन का अवलोकन किया। सभी आवेदन निष्पादित पाया गया परन्तु लाभार्थी को लाभ का भुगतान नहीं किया गया है। सभी स्वीकृत आवेदनों का निष्पादन की तिथि के अनुसार सूची तैयार कर एक तिथि निर्धारित कर लाभार्थी को राशि उपलब्ध करा दें। राशि न होने की स्थिति में आकलन कर राशि की मांग करें।

अनुपालन :– प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/जिला प्रोग्राम पदाधिकारी

5. **आर.टी.पी.एस. :–**

निरीक्षण के क्रम में आर0टी0पी0एस0 काउंटर से प्राप्त आवेदनों के विरुद्ध निष्पादित आवेदनों की सूची का अवलोकन किया गया। विभिन्न प्रकार के पेंशन से संबंधित 12 आवेदन एवं पारिवारिक लाभ योजना के 120 आवेदन अधिकतम 168 दिन निर्धारित समय अवधि बीत जाने के बावजूद लंबित दिखाया जा रहा है। अनुमंडल पदाधिकारी, बेतिया सदर उपरोक्त के आलोक में संबंधित पदाधिकारी/कर्मी पर एक सप्ताह के अंदर वित्तीय दण्ड अधिरोपित कर अनुपालन प्रतिवेदन प्रेषित करेंगे।

(अनुपालन :–अनुमंडल पदाधिकारी, बेतिया/प्रभारी पदा0, आर0टी0पी0एस0)

(अभय कुमार सिंह)
जिला पदाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया

ज्ञापांक 1647/गो. दिनांक 16.09.2013

प्रतिलिपि : प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, योगापट्टी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमंडल पदाधिकारी/वरीय प्रभारी, योगापट्टी/प्रभारी पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा/जिला स्थापना उपसमाहर्ता/प्रभारी पदाधिकारी, आर0टी0पी0एस0 कोषांग/आई0टी0 मैनेजर, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : उप विकास , पश्चिम चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अभय कुमार सिंह)
जिला पदाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया

ज्ञापांक 1647/गो. दिनांक 16.09.2013

प्रतिलिपि : आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(अभय कुमार सिंह)
जिला पदाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया